न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 55 / 2021

1 श्रीमती प्रकाश देवी पत्नी श्री दयाराम उम्र 54 साल जाति खटीक निवासी वार्ड नम्बर 23 रोड़ नम्बर 3 शिव कॉलोनी झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सीताराम पुत्र श्री घीसाराम आयु 53 साल जाति माली निवासी धूड़ामाली की ढाणी रामपुरा रोड़ पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 अमीलाल पुत्र देवकरण आयु 67 साल जाति माली निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय चिड़ावा।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम उनवानी श्रीमती प्रकाश देवी बनाम सीताराम वगै. मु.नं. 49 / 2019

उपस्थिति :

1. श्री अशोक कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बिरजू सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री अमरसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 10.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 49/2019 में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय वादी अपीलांट ने ग्राम खुडाना तहसील चिड़ावा की भूमि खसरा नम्बर 781/204 के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 02.04.2019 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी की ओर से आदेश 39 नियम 04 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वैकेट कर दिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा आदेश 39 नियम 3 की पालना में अप्रार्थीगण की सम्यक तामील करवा दी गई थी। केवल मात्र डाक रसीद जमा नहीं करवाने के आधार पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। विचाराधीन निर्णय पारित करने के तत्काल पश्चात कोविड—19 की महामारी के कारण अपील अंदर मियाद प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अतः मियाद का लाभ प्रदान किया जावें। धारा 212 का अंतिम निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। अतः धारा 212 के निर्णय तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 02.04.2019 को अंतिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी। इसके उपरांत दिनांक 14.02.2020 तक प्रार्थीया अपीलांट द्वारा अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड सम्मन तलवाना प्रस्तुत नहीं करने पर अप्रार्थी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वैकेट किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 02.04.2019 को अंतिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी। इसके उपरांत दिनांक 14.02.2020 तक प्रार्थीया अपीलांट द्वारा अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड सम्मन तलवाना प्रस्तुत नहीं करने पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वैकेट किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)